न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 417/2025

रेखाराम पुत्र खीयाराम व अन्य
बनाम
ईशराराम पुत्र डूंगराराम वगैरा

दिनांक 26.02.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 347/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–ईशराराम ने विप्रार्थीण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर ग्रामीण के ग्राम सुखसागर स्थित अपने खातेदारी खसरा नम्बर 584, 880/585, 884/585, 890/582 व 892/583 की उल्लेखित रकबा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार बाडमेर को कमिश्नर नियुक्त कर, प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सूचित कर वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1, 2, 11 व 12 ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री नेमाराम चौधरी तथा रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा व श्री रोशनलाल एवं रेस्पो0सं0 5, 8 व 9 के अधिवक्ता श्री श्रवणराम पटेल व रेस्पो0सं0 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं एकतरफा पारित किया गया है। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट को विधिवत नोटिस/सूचना दिये बिना ही नोटिस तामिल की श्रेणी में मानते हुए एक तारीख पेशी के बाद ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित कर दिया गया। वादग्रस्त जायदाद में अपीलांट बुधाराम की ढाणी व पशुओं का बाडा आदि वक्त सेटलमेंट से बने हुए है, जिन्हें सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा मौका रिपोर्ट भी अपीलांट की गैर मौजूदगी में बनायी गई है। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार भूमिधारी को पक्षकार नही बनाया गया और न ही कोई रिपोर्ट तलब की गई। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में विप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे, जिनकी डाक रसीदें व ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। निर्धारित दिनांक को विप्रार्थीगण उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक 519 दिनांक 20.5.25 के अनुसार मौके पर पक्की नेखमबंदी की जा चुकी है। मौका फर्द दिनांक 6.7.24 से 7.7.24 के अनुसार अपीलांट सं0 3 व 4 मौके पर उपस्थित थे, किंतु इनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। अपीलांट को उक्त समस्त जानकारी के बाद उक्त अपील दिनांक 10.06.25 को प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 16 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 26.3.19 के अनुसार वादग्रस्त खसरान का पूर्व में सीमाज्ञान करवाया हुआ है। अपीलांट को सुनवाई दिनांक 19.3.24 के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये थे, जिनकी ट्रेकिंग रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है तथा

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नेखमबंदी फर्द दिनांक 6.7.24 से 7.7.24 के अनुसार अपीलांट सं0 3 व 4 मौके पर उपस्थित होने व हस्ताक्षर नही करने का उल्लेख है। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर वादग्रस्त खसरान के नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। अतः विलंब से प्रस्तुत उक्त अपील औचित्यहीन होने से खारिज की जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से, तदनुसार खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 347/2023 बअनवान ईशराराम बनाम रेखाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.2.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

26/2/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर